

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

क्रमांक/ 229 /निविदा बाढ़ राहत/2018

सिंगरौली दिनांक 26/06/2018

निविदा आमंत्रण-सूचना

(बाढ़ बचाव आपदा प्रबंधन उपकरण क्रय करने हेतु निविदा)


वित्तीय वर्ष 2018-19 बाढ़ बचाव आपदा प्रबंधन उपकरण क्रय हेतु दिनांक 05.07.2018 को दिन के 3.00 बजे तक निविदाएं सील बंद लिफाफे में आमंत्रित हैं। निविदा प्रपत्र शुल्क रूपये 500 (पाँच सौ रूपये) निर्धारित है। निविदा प्रपत्र कार्यालय अथवा वेबसाइट www.singrauli.nic.in से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदाकार को धरोहर की राशि 5000 (पाँच हजार मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट जमा करना होगा। अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन कार्य दिवस में जिला राहत शाखा से सम्पर्क किया जा सकता है। प्राप्त निविदायें उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष दिनांक 05.07.2018 को सायं 4.00 बजे खोली जावेंगी।

सामग्री का विवरण

क्रमांक	सामग्री का नाम	अनुमानित संख्या
1	माईक सिस्टम	05 नग
2	टार्च	05 नग
3	नाइलोन रस्सा	05 नग
4	वाल	05 नग
5	लाइफ जैकेट	05 नग
6	छाता	05 नग
7	फायर प्राक्सिमिटी सूट	05 नग

- शर्तें:-
- 1-सामग्री कार्यालय आवश्यकतानुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है।
 - 2-निविदा संबंधी समस्त निर्णय कलेक्टर सिंगरौली के अंतिम एवं सर्वमान्य होंगे।
 - 3-निविदाकर्ता को बिन्दु क्र० 1 से 11 तक की समस्त जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
 - 4-निविदा कर्ता को आदेश पारित के 07 दिवस के अंदर सामग्री आपूर्ति कर देयक 02 प्रतियां में जमा करना होगा।
 - 5-निर्धारित अवधि में सामग्री आपूर्ति न करने पर आदेश स्वमेव निरस्त हो जायेगा एवं जमा अमानत राशि राजसात कर ली जायेगी।
 - 6-उक्त दर सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2018-19 में लागू होगी।
 - 7-निविदाकार दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
 - 8-निविदाकार को अपना TIN नं. देना अनिवार्य होगा।
 - 9-निविदाकार कागिरीशियल टैक्स दाता होना अनिवार्य होगा।
 - 10-निविदाकार ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए।
 - 11-निविदाकार आयकर दाता है या नहीं। यदि है तो पिछले तीन साल का इनकम टैक्स रिटर्न की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)



डिप्टी कलेक्टर
हेतु कलेक्टर
(जिला-सिंगरौली (म०प्र०))

सिंगरौली दिनांक 26/06/2018

पू०क्रमांक/ 30 /निविदा बाढ़ राहत/2018

प्रतिलिपि:-

1. जिला जनसम्पर्क अधिकारी जिला सिंगरौली की ओर समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
2. जिला सूचना अधिकारी एन.आई.सी. जिला सिंगरौली की ओर वेब साइट में प्रकाशन हेतु।
3. कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु।


डिप्टी कलेक्टर
हेतु कलेक्टर
(जिला-सिंगरौली (म०प्र०))